Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 9 ~ Issue 8 (2021)pp: 62-64
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

भारत में मध्यान्ह भोजन योजना की स्थिति का एक शैक्षिक अध्ययन

डॉ. भूपेन्द्र कौर
सहायक प्राध्यापिका
शिक्षा विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

सार–प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, 1994 में भारत सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसका उददेश्य प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चो को विद्यालय में बनाये रखना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। भारत मे प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा और कुपोषित बच्चो की बढती हुई संख्या को देखते हुए मध्यान्ह भोजन व्यवस्था लागू की गयी थी। देखा गया है कि मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से बच्चो के नामाकनं और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रारम्भ में यह योजना केवल सरकारी स्कूलो में प्राथमिक कक्षाओं में ही प्रारम्भ की गई थी। 1997–1998 तक इसे देश के सभी प्रदेश और केन्द्रशासित राज्यों मे प्रारम्भ किया गया था। 2007 में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6,7,8 मे) भी शुरू कर दिया गया। किन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओ के अधिगम स्तर मे सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त नही हुए है। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से बच्चो को पोषण तो प्राप्त हुआ है किन्तु उनके शैक्षिक स्तर पर अपेक्षित नतीजे प्राप्त नही हो रहे है।

प्रस्तावनाः –

मिड–डे मील आज के समय मे एक चिर परिचित योजना है। इस योजन की शुरूआत भारत मे 15 अगस्त, 1995 को स्वतंत्रता दिवस की 48वीं वर्षगाँठ के अवसर पर भारत सरकार द्धारा मध्यान्ह भोजन, या पोषाहार वितरण योजना, या पौष्टिक आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना में विद्यालय में कक्षा 8 तक के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जाता है जिससे वे विद्यालय में आने के लिए प्रेरित हों सकें। इस योजना का लक्ष्य सरकारी प्राथमिक स्कूल मे पढने वाले बच्चो को पोषण युक्त भोजन और उनके माता–पिता को बच्चो को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना था। और अप्रैल 2002 से इस योजना को सारे सरकारी प्राथमिक विधालयो (जहॉ कक्षा 1से 5 तक की शिक्षा दी जाती है) लागू किया गया। अपने पहले पडाव मे इस योजना को 2408 ब्लॉको से शुरू किया गया। योजना के अन्तगर्त छात्रो को प्रति माह 03 किलो ग्राम गेहू अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थीं किन्तु योजना के अन्तर्गत छात्रो को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्रो को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बट जाता था, इससे छात्र को वॉछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा मे प्राप्त होते थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 28 नवम्बर 2001 को निर्देश दिए गये कि प्रदेश के विधालयो मे पका भोजन प्रदान किया जाये सितम्बर 2004 से सभी विधालयो मे पका भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू कर दी। सितम्बर 2004 को कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा को बढाकर 450 और 12 ग्राम कर दिया गया। उसके बाद इसको कक्षा 8 अर्थात उच्च प्राथमिक विधालयों मे कियान्वित किया गया। इस योजना के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो सरकारी प्राथमिक विधालयो मे पढता है, उसको 300 कैलोरीज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिड–डे मील योजना के तहत भोजन मे मिलना चाहिए। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए अक्टूबर 2007 से इसे पिछडे ब्लॉको के विधालयो मे तथा अप्रैल 2008 मे शेष ब्लॉको एंव नगर क्षेत्रो मे स्थित उच्च प्राथमिक विधालयो तक विस्तारित कर दिया गया है।

मध्यान्ह भोजन योजना की स्थिति –

ऐसे क्षेत्र जहॉ भूख सर्वोच्च है, वे लोग जो दिन भर अपना पेट भरने का जुगाड ढूंढते है। उन क्षेत्रो के लिए मिड–डे मील योजना एक वरदान साबित हुई है। जो अपने बच्चो को भी पेट भरने बाले जुगाडी कामो मे लगा दिया करते थे। आजकल वो अपने बच्चो को स्कूल भेजने लगे है। इस अपेक्षा मे की कम से कम एक समय का खाना तो स्कूल मे मिलेगा। क्यू कि मिड–डे मलि योजना के अन्दर एक प्रावधान है, की जिस बच्चे की उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी वही अगले साल इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होगा। इस कारण भी बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे है। मिड–डे मील योजना से लडकियों की उपस्थिति और साझेदारी भी बढी है। पहले ग्रामीण इलाको और आदिवासी इलाको मे लडकियों को बहुत कम या इन्हे स्कूल भेजा ही नही जाता था। लेकिन मिड–डे मील के संचालन के बाद माता पिता लडकियों को भी स्कूल भेजने लगे है तथा उनकी उपस्थिति मे भी बढोतरी हुइ है। स्कूल मे पढने वाले बच्चो मे समान लिंगानुपात को भी प्रोत्साहन मिला क्यो की अब लडकियॉ भी स्कूल आने लगी है। अब स्कूलो मे लडके और लडकियो की संख्या मे कोई अधिक अंतर नही रह गया है।

मध्यान्ह भोजन योजना के फायदे–

मिड–डे मील योजना अपने उददेश्य मे कामयाब होती दिख रही है। योजना पर हुए राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अध्ययन मे बच्चो ने कहा कि खाना मिलने से उनका पढाई मे मन लगता है। अध्ययन मे सामने आया कि खाने का स्वाद 87 फीसदी बच्चो को पंसद आ रहा है। ग्रामीण इलाको मे कुछ बच्चे स्कूल जाते समय रोते चिल्लाते है, लेकिन भोजन के लालच मे वो अब बिना चीखे चिल्लाये आराम से स्कूल जाने लगे है। वे बच्चे जिन्हे गरीबी के कारण धर मे भरपेट भोजन नही मिल पाता था। उनका बौद्विक और शारीरिक विकास अच्छे ढंग से नही हो पा रहा था। अब उनको स्कूल मे भरपेट भोजन मिल जताा है। मिड–डे मील से सामाजिक सद्भावना को प्रोसाहन मिला है, क्यू कि स्कूल मे पढने वाले सारे बच्चे चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ या जाति के हो सबको एक साथ भोजन करना पडता है। जिससे सामाजिक समानता को प्रोत्साहन लिता है। ऐसे गरीब लोग जो अपने बच्चो को खाना खिलाने मे असमर्थ थे वो चुपचाप अपने बच्चो को स्कूल भेज देते है कि बच्चो को एक समय का खाना तो मिलेगा। इस योजना के कारण बच्चो मे बहुत सारी अच्छी आदतो जैसे–खाना खाने से पहले हाथ धोना, प्लेट खुद साफ करना, खाने के बाद स्वच्छ पानी पीना आदि का विकास होता है।

वर्ष 2017–18 मे 20 राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशो के 70 जिलो मे किये गए अध्ययन के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई हैं। इसमे 72 फीसदी बच्चो का कहना है कि मिड–डे मील की वजह से कक्षा मे पढाई को लेकर उनकी एकाग्रता बढी है। गौरतलब है कि मिड–डे मील योजना बच्चो को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने और बच्चो मे पोषण का स्तर बढाने के उददेश्य के तहत शुरू की गई थी संस्थान ने इसकी ड्राफ्ट रिर्पोट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौप दी है। वही, फाइल रिर्पोट जल्द तैयार हो जाने की उम्मीद है।

स्कूल जा रहे 92 फीसदी बच्चो को मिड–डे मील मिल रहा है। मिड–डे मील योजना स्कूल मे उपस्थिति बढाने के अपने मुख्य लक्ष्य मे भी काफी हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। अध्ययन के दौरान 92 फीसदी शिक्षको और 80 फीसदी माता पिता ने माना कि मिड–डे मील की वजह से स्कूल मे नामांकन और उपस्थिति बढी है।

देश भर मे राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशो मे मिड–डे मील योजना के अन्तरगत 25.70 लाख रसोइयो–सहायको को काम दिया गया। इन सहायको को इस कार्य के लिए मानदेय को संशोधित कर 1 दिसमबर, 2009 से एक हजार रूपये प्रति माह कर दिया गया तथा साल मे कम से कम दस महीने का काम दिया। इस कार्य के लिए रसोईया–सहायको को दिए जाने वाले मानदेय का खर्च केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यो के बीच 90:10 के औसत मे उठाया गया, जब कि अन्य राज्यो व केन्द्रशासित प्रदेशो तथा केन्द्र के बीच यह औसत 60:40 तय किया गया। **यदपी** राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशो को कहा गया कि चाहे तो इस कार्य के दिए जाने वाले खर्च मे योगदान निर्धारित अनुपात से अधिक भी कर सकते है। तदानुसार केन्द्र की हिस्सेदारी और राज्यो/संध राज्य क्षेत्रो की न्यूनतम हिस्सेदारी वर्ष 2016–17 के लिए इस प्रकार हैः–

स्तर	प्रति भोजन कुल लागत	1 जुलाई 2016 प्रति बालक, प्रति स्कूल खाना बनाने के खर्च की संशोधित दरे गैर पूर्वोत्तर राज्य (60:40)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10)	
		केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
प्राथमिक	4.13 रू	2.48 रू	1.65 रू	3.72 रू	0.41 रू
उच्च प्राथमिक	6.18 रू	3.71 रू	2.47 रू	5.56 रू	0.62 रू

भोजन पकाने की लागत मे दाले, सब्जियां, भोजन पकाने के तेल और मिर्च–मसाले, ईधन आदि की लागत शामिल है।

मध्यान्ह भोजन योजना का लक्ष्य –

इस स्कीम का लक्ष्य भारत के अधिकाशं बच्चो की समस्याओ जैसे–भूख, शिक्षा और स्कूल उपस्थिति का समाधान करना है।
लाभवंचित वर्गो के गरीब बच्चो को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सहायता करना है।
ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल–पीडित क्षेत्रो मे प्रारंभिक स्तर के बच्चो को पोषण सम्बन्धी सहायता प्रदान करना।
मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के कियान्वयन का विश्लेषण–
कक्षा के अर्न्तगत भूख को शान्त करना।
स्कूल नांमाकन मे बढावा।
स्कूलो मे उपस्थिति मे बढावा।
जातियो के बीच समाजिकरण मे सुधार।
कुपोषण का पता लगाने के लिए।
रोजगार के माध्यम से महिलाओ को सशक्त बनाना।

मध्यान्ह भोजन योजना के पोषण स्तर में सुधार–

मध्याहन भोजन योजन स्कूल मे भोजन उपलब्ध कराने की सबसे बडी योजना है जिसमे रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त 11.58 लाख से भी अधिक स्कूलो के 10.8 करोड बच्चे शामिल है। 96 फीसदी शिक्षको और 80 फीसदी माता–पिता ने माना कि मिड–डे मील ने बच्चो के पोषण स्तर मे इजाफा किया है। हालांकि दोबारा मागने पर 58 फीसदी बच्चो को ही खाना मिलता है।

अक्षय पात्र ने भी उदाहरण कायम किया–

अक्षय पात्र फाउडेशन एक गैर सरकारी संस्था है, जो सात राज्यो के 6500 स्कूलो मे लगभग 12 लाख स्कूली छात्रो को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। इस संस्था का नाम दिसंबर 2009 मे लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स मे दर्ज किया गया। सरकार की तरह से गरीब बच्चो को भोजन देने वाली यह सबसे बडी संस्था है। कर्नाटक से वर्ष 2000मे शुरू हुई यह योजना अनेक प्रदेशो के ग्रामीन क्षेत्रो के स्कूलो को भोजन उपलब्ध करा रही है। मंदिरो, उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाओ से इसके लिए दान आता है। अक्षय पात्र मे क्षेत्रीय स्वाद और विभिन्न कारको को ध्यान मे रखते हुए मेनू को डिजाइन किया गया और इसे कार्यान्वित किया गया है। मेनू विविधता के आधार पर मौसमी सब्जियॉ और स्थानिय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है।

सबसे बडी मध्यान्ह भोजन योजना–

12.56 लाख स्कूलो मे चलाई जा रही मिड–डे मील योजना मौजूदा समय मे 12 करोड से अधिक भारतीय बच्चो के इस योजना से लाभान्वित होने का अनुमान है, जिसमे 2.89 रूप्ये प्राइमरी और 4.33 रूप्ये उच्च प्राथमिक स्तर के प्रति बच्चे को मिलता है। इस योजना के लिए 2018 के बजट मे 10500 करोड रूप्ये आवंटन किया गया ।

गुणवत्ता को लेकर उठाए गये सवाल–

मिड–डे मील से स्कूल मे बच्चो की उपस्थिति तो सुधरी है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे है। कैग ने 2016 की जॉच मे पाया कि अधिकतर विधालयो मे रसोईधर, शैडो, बर्तन और पेयजल सुविधा की कमी है। दूषित भोजन से कई बार बच्चो के बीमार होने की धटनाएं यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यो मे सामने आई हैं। सरकार मिड–डे मील पर 6 से 9 रूप्ये प्रति छात्र खर्च करती है मगर भोजन की गुणवत्ता को लेकर पंचायत और स्कूल प्रबंधक लापरवाह है। 19 नवंबर 2017 को पश्चिमी बंगाल के एक गॉव मे मिड–डे मील मे मरी छिपकली निकली थी। ऐसे दूषित खाने को खा कर 87 बच्चे बीमार हो गये, जिन्हे अस्पताल मे भर्ती कराना पडा। यूपी के कई स्कूलो मे बच्चो से खाना बनवाने की शिकायतें सामने आई।

कमियॉ–विद्यालय मे भोजन व्यवस्था से बच्चो की पढाई पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। बालक स्वच्छतामे अपेक्षित प्रगति देखने को नही आई। बच्चो की पढाई का स्तर निम्न है। सफाई के मानको का विशेष ध्यान नही रखा जाता है। बच्चो को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नही है। भोजन विधालय मेनू के अनूसार नही है। जो सब्जी सस्ती होती है उसे ज्यादा बनाया जाता है। वस्तुए गुणवत्ता पूर्ण नही है।

निष्कर्ष–

सुझाव–अधिकॉश शिक्षको ने कहा मध्यान्ह भोजन व्यवस्था करने मे ही अधिकाशॅ समय निकल जाता है जिस कारण बच्चो को अधिक समय नही दे पाते है। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के कियान्वयन के लिए शिक्षको को छोड कर अलग से कर्मचारी लगाने चाहिए। ज्यादातर गंदी जगहो पर रखे गले–सडें और फफंद लगे अनाज व दालों, पुराने तेल आदि का इसतेमाल होता है। बच्चो को मिलने वाला भोजन पकाने से पहले अच्छे से

साफ कर लेना चाहिए तथा सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मिड–डे–मील योजना से लाभान्वित होने बाले अधिकांश बच्चे समाज के वंचित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, अनेक आंगनबाडी कर्मचारी और अधिकारी निर्धारित मानदण्डों के विपरीत बच्चो को घटिया भोजन परोसकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे है। **मेनका गांधी** के अनुसार, *"आंगनबाडियों में बच्चों को पौष्टिक आहार की बजाय कूडा परोसर जा रहा है। आंगनबाडियों के औचक निरीक्षण के दौरान वहाँ पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भयावह हद तक क्षराब पाई गई।"* अतएव सरकार, प्रशासन, विद्यालय प्रबन्धन, समाजसेवी संस्थओं और शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे इसकी उचित व्यवस्था में सहयोग करें और इस योजना का सही लाभ छात्रों तक पहुँचाएँ जिससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य शीध्रतिशीध्र प्राप्त किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

पाण्डेय, रामशकल, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, 2012
पचौरी, गिरीश, प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आर. लाल बुक डिपो मेरठ, 2012
लाल, बिहारी, रमन, भारत में माध्यमिक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो मेरठ, 2012